

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग ।।।—खण्ड 4

PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 2016/चैत्र 30, 1938 No. 137] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 2016/CHAITRA 30, 1938

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2016

फा. सं. 11/12/विनि /प्रोप /एफ.एस.एस.ए.आई.-2016.- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कितपय विनियमों का, जिन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पिठत धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, निम्नालिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, धारा 92 की उक्त उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे ।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

### प्रारूप विनियम

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्तर होंगे।

1888 GI/2016 (1)

- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के 'निजस्वमूलक खाद्य' से संबंधित विनियम 2.12 में, उप-विनियम 2.12.1 के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "2.12.1 : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए,-
  - (2) निजस्वमूलक खाद्य से ऐसी खाद्य वस्तु अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन मानकीकृत नहीं की गई है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई नवीन खाद्य, विशेष आहारिक उपयोग के लिए खाद्य, प्रकार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल, स्वास्थ्य पूरक और खाद्य की ऐसी अन्य वस्तुएँ नहीं आती हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस नीमित्त अधिसूचित करे।
  - (3) निजस्वमूलक खाद्य में खाद्य सहयोज्यकों से भिन्न केवल वे संघटक होंगे, जो इन विनियमों में मानकीकृत हैं या अन्य मानकीकृत खाद्य को तैयार करने में प्रयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात हैं।
  - (4) निजस्वमूलक खाद्य में केवल ऐसे सहयोज्यों का प्रयोग किया जाएगा, जिन्हें उस प्रवर्ग के लिए, जिससे वह खाद्य संबंधित है, विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसे प्रवर्ग का लेबल पर स्पष्ट रूप से उल्लेख इसके नाम, प्रकृति और संघटन के साथ किया जाएगा।
  - (5) निजस्वमूलक खाद्य उत्पाद, इन विनियमों के 'परिशिष्ट क' में यथाविनिर्दिष्ट खाद्य सहयोज्य संबंधी उपबंधों और 'परिशिष्ट ख' में निर्धारित सूक्ष्मजैविकीय विनिर्देशों तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए अन्य सभी विनियमों के अनुपालन में होगा।
  - (6) खाद्य व्यवसाय प्रचालक निजस्वमूलक खाद्य की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा⊣"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./20 **(**187**)**]

**टिप्पण**: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ/एससीआई॰ पीएएन–अधि॰/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी॰15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015 और
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016 ।

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### (FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2016

**F. No. 11/12/Reg/Prop/FSSAI-2016.**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002, or may be sent at <a href="mailto:regulation@fssai.gov.in">regulation@fssai.gov.in</a>.

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

### **Draft Regulations**

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.
  - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulations 2.12 relating to 'Proprietary Food', for the sub-regulations 2.12.1, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
- "2.12.1: For the purpose of these regulations,-
  - (1) Proprietary food means an article of food that has not been standardised under these regulations, but does not include any novel food, food for special dietary use, functional food, nutraceuticals, health supplements and such other articles of food which the Central Government may notify in this behalf.
  - (2) Proprietary food shall contain only those ingredients other than additives which are either standardised or permitted for use in the preparation of other standardised food under these Regulations.
  - (3) Proprietary food shall use only such additives as specified for the Category to which the food belongs and such category shall be clearly mentioned on the label along with its name, nature and composition.
  - (4) Proprietary food product shall comply with the food additives provisions as specified in Appendix A and the microbiological specifications as specified in Appendix B of these Regulations and all other Regulations made under this Act.
  - (5) The Food Business Operator shall be fully responsible for safety of the proprietary food.".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

- **Note.** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:-
  - (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7<sup>th</sup> June, 2013;
  - (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27<sup>th</sup> June, 2013;
  - (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12<sup>th</sup> July, 2013;
  - (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5<sup>th</sup> December, 2014;
  - (v) F. No.1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17<sup>th</sup> February, 2015;
  - (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4<sup>th</sup> August, 2015;
  - (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4<sup>th</sup> November, 2015;
  - (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4<sup>th</sup> November, 2015;
  - (ix) F. No P.15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
  - (x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015;
  - (xi) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13<sup>th</sup> November, 2015, and
  - (xii) F. No.1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11<sup>th</sup> January, 2016.